Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 21 अप्रैल, 2020

drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-21-april-2020

मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रदेश के लगभग एक लाख आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्डबॉय, आशा कार्यकर्त्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारियों, आदि को भी शामिल किया गया है। योजना के अनुसार, यदि कोरोनावायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हालाँकि संक्रमित व्यक्ति के इलाज के दौरान संक्रमित होने पर, इलाज के खर्च को इस योजना के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। यह योजना 30 मार्च से 30 जून तक की अवधि के लिये लागू की गई है। इस योजना के लिये प्रदेश के **राजस्व विभाग को** नोडल विभाग बनाया गया है। विदित हो कि भारत सरकार ने भी COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिये कार्य कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारंभ की है।

कपिल देव त्रिपाठी

पूर्व IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह-कार्यकाल के लिये कपिल देव त्रिपाठी की नियुक्ति को मंज़ूरी दी है। कपिल देव त्रिपाठी असम-मेघालय कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में कपिल देव त्रिपाठी लोक उद्यम चयन बोर्ड (PESB) के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। PESB लोक उद्यमों में शीर्ष स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के पूर्व सचिव संजय कोठारी का स्थान लेंगे। संजय कोठारी को फरवरी, 2020 में मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) के रूप में नियुक्त किया गया था। 63 वर्षीय कपिल देव त्रिपाठी इससे पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयोग में सचिव तथा भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्य कर चुके हैं।

ट्रांसजेंडर के लिये तीसरे लिंग की अलग श्रेणी

केंद्र सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सिविल सेवा और अन्य पदों के लिये आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित लोगों के लिये तीसरे लिंग की अलग श्रेणी बनाएँ। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने यह निर्देश बीते वर्ष दिसंबर में अधिसूचित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के आधार पर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि इस विषय पर मौजूद कानून और कानूनी राय के आधार पर 5 फरवरी, 2020 को सिविल सेवा

परीक्षा नियमावली, 2020 को अधिसूचित किया गया जिसमें ट्रांसजेंडर को उस परीक्षा के लिये लिंग की अलग श्रेणी के तौर पर शामिल किया गया। मंत्रालय के अनुसार, 'भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि ट्रांसजेंडर को लिंग की अलग श्रेणी में शामिल करने के लिये वे अपनी परीक्षा नियमावली में बदलाव करें। इससे उस नियम को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम

भारतीय बैडमिंटन संघ (Badminton Association of India-BAI) और भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India-SAI) ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल, 2020 को मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम तीन सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बाँटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के अतिरिक्त दो विदेशी कोच भी मौज़ूद थे। खेल विशेषज्ञों के अनुसार, यह बेहतरीन मंच है जिसके ज़रिये विदेशी कोचों का अनुभव प्रत्येक स्तर पर भारतीय प्रशिक्षकों तक पहुँच सकेगा और उनके कौशल में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा।